महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी
दूरध्वनी :०२२-२२६७२५३९
ई-मेल :mhsahityaacademy@gmail.com
ओल्ड कस्टम हाऊस, विकास विभाग इमारत, दुसरा मजला,
शहिद भगतसिंह मार्ग, मुंबई - ४०० ००१.

अ) पुरस्कार योजना

इस योजनातंर्गत सिंधी भाषा के लेखक, साहित्यिकों को विभीन्न साहित्य प्रकार में ९ पुरस्कार प्रदान किए जाते है। इस योजना के लिए निम्नलिखीत स्वरुप में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

अ. क्र.	पुरस्कार का नाम	पुरस्कार संख्या	पुरस्कार की राशी
१.	अखिल भारतीय जीवन गौरव सन्मान पुरस्कार	१	२,००,०००/-
२.	सिंधी भाषा के लिखीत पुस्तक/ ग्रंथ को साहित्य /वाङ्मय पुरस्कार	४	(प्रति पुरस्कार रु. १,००,०००/-) कुल रु. ४,००,०००/-
३.	पत्रकारिता पुरस्कार	१	रु. ५०,०००/-
४.	अनुवाद पुरस्कार	१	रु. ५०,०००/
५.	काव्य पुरस्कार	१	रु. ५०,०००/
६.	नवोदित साहित्यिक पुरस्कार	१	रु. ५०,०००/
	पुरस्कार संख्या	९	

पुरस्कार योजना के लिए योग्यता :

१. अखिल भारतीय जीवन गौरव सन्मान पुरस्कार :

सिंधी साहित्य जगत में प्रदीर्घ समय से सिंधी भाषा के विकास - उत्थान के लिए जिनका विशेष योगदान रहा हो, ऐसे वरीष्ठ साहित्यिक को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

- सिंधी भाषा में महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों की रचना करनेवाले लेखक/ साहित्यकार इस पुरस्कार के लिए पात्र हैं।
- पुरस्कार्थी का साहित्यिक क्षेत्र में श्रेष्ठत्व सिध्द् होना चाहिए।
- पुरस्कार्थी का महाराष्ट्र राज्य में कम से कम १५ वर्ष निवास आवश्यक है। अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) अनिवार्य है।

२. साहित्य /वाङ्मय पुरस्कार :

काव्य, उपन्यास, कहानी, निबंध, समीक्षा, अनुवाद, विज्ञान कथा और सिंधी भाषा के विवीध स्वरुप मे गत ३ वर्ष में प्रकाशीत कृतियों कों इस पुरस्कार के लिए चुना जाएगा।

- पुरस्कारार्थी का कर्तृत्व सिंधी साहित्य क्षेत्र में वादातीत होना आवश्यक है। गत ३ वर्ष में उनका ग्रंथ / पुस्तक प्रसिध्द् आवश्यक है।
- पुरस्कारार्थी का महाराष्ट्र राज्य में कम से कम १५ वर्ष निवास आवश्यक है। अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) अनिवार्य है।

३. **पत्रकारिता पुरस्कार :**

पत्रकारीता क्षेत्र में सिंधी भाषा में उल्लेखनीय कार्य करनेवाले व्यक्ती को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

- पत्रकारिता क्षेत्र में पुरस्कारार्थी लगभग ५ वर्षों से सक्रीय होना चाहीए।
- पुरस्कारार्थी का महाराष्ट्र राज्य में कम से कम १५ वर्ष निवास आवश्यक है। अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) अनिवार्य है।

४. **अनुवाद पुरस्कार :**

यह पुरस्कार मराठी भाषा से सिंधी भाषा में तथा सिंधी भाषा से मराठी भाषा में अनुवादीत कृति की रचना करनेवाले साहित्यिक को प्रदान किया जाएगा। गत ३ वर्ष में प्रकाशित कृतियों कों इस पुरस्कार के लिए चुना जाएगा।

- पुरस्कार्थी का महाराष्ट्र राज्य में कम से कम १५ वर्ष निवास आवश्यक है। अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) अनिवार्य है।

५. **काव्य पुरस्कार :**

सिंधी साहित्य काव्य प्रकार में विशेष योगदान देनेवाले रचनाकार तथा कवियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। गत ३ वर्ष में प्रकाशीत कृतियों कों इस पुरस्कार के लिए चुना जाएगा।

- पुरस्कार्थी का महाराष्ट्र राज्य में कम से कम १५ वर्ष निवास आवश्यक है। अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) अनिवार्य है।

६. **नवोदित साहित्यिक पुरस्कार :**

उत्कृष्ट सिंधी साहित्य / वाङ्मय कृती के निर्माण हेतू नवोदित साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने के लिए नवोदित साहित्यकार की रचनाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

- पुरस्कारार्थी का महाराष्ट्र राज्य में कम से कम १५ वर्ष निवास आवश्यक है। अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) अनिवार्य है।

सर्वसाधारण नियम :

पुरस्कार योजना के लिए सर्वसाधारण नियम निम्ननुसार है।

- जीवनगौरव पुरस्कार प्रतिवर्ष १ व्यक्ती को दिया जाएगा।
- जिस साहित्यकार को एक क्षेत्र में पुरस्कार मिल चुका है, उन्हे उसी क्षेत्र में अगले २ वर्ष तक पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। किंतू वे दुसरे क्षेत्र के लिए आवेदन कर सकते है।
- साहित्यकार एक से अधिक श्रेणी में अपनी कृति भेज सकते है, किंतू किसी एक वर्ष में एक ही कृति को पुरस्कार दिया जाएगा।
- डी.लिट, पी.एच.डी, एम.फिल का शोधप्रबंध, संपादित तथा अभिनंदन ग्रंथ पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होंगे।
- वाङ्मय पुरस्कार के लिए दि. ०१ जनवरी से दि. ३१ दिसंबर के बीच प्रकाशित कृतियां स्वीकार की जायेंगी।
- पुरस्कार घोषणा संबंध में महाराष्ट्र शासन का निर्णय अंतिम रहेगा।